

PM कसिान मानधन योजना हर महीने 3000 पेंशन, ऐसे करें आवेदन!

वषिय सूची (Table of Contents):

- >> मुख्य अपडेट्स...
- >> पीएम कसिान मानधन योजना क्या है?...
- >> कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता)...
- >> कतिना देना होगा? (योगदान राशि)...
- >> कतिना मलिगा फायदा?...
- >> आवेदन कैसे करें?...
- >> जरूरी बातें ध्यान रखें...
- >> जनता के सवाल (FAQs)...

बड़ी खबर कसिानों के लिए! सरकार ने एक बार फिर कसिानों के हति में बड़ा ऐलान किया है। अगर आप भी कसिान हैं और छोटे-सीमांत कसिान की श्रेणी में आते हैं, तो यह खबर आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री कसिान मानधन योजनाके तहत अब आप हर महीने 3000 की पेंशन पा सकते हैं। आइए जानें इस योजना का पूरा फायदा और आवेदन का तरीका।

PM कसिान मानधन योजना एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जिसमें 18-40 वर्ष के छोटे और सीमांत कसिान (2 हेक्टेयर तक भूमि) आवेदन कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 3000 पेंशन मिलती है। मासिक योगदान 55 से 200 तक है।

मुख्य अपडेट्स

- >> पेंशन राशि: 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 पेंशन मिलेगी
- >> पात्रता: 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के कसिान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है
- >> मासिक योगदान: 55 से 200 प्रतिमाह (आयु के अनुसार)
- >> आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड और बचत बैंक खाता या जन धन खाता
- >> पारिवारिक पेंशन: कसिान की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को 50% पेंशन मिलेगी
- >> कुल वार्षिक लाभ: 60 वर्ष के बाद 42,000 सालाना (36,000 पेंशन + 6,000 PM-Kisan)

पीएम कसिान मानधन योजना क्या है?

प्रधानमंत्री कृषि आयुष्मान योजना को 1 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जो बुजुर्ग किसानों की सुरक्षा और छोटे-सीमांत किसानों (SMF) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप PM-Kisan सम्मान पत्र के साथ इस योजना का लाभ एक साथ ले सकते हैं। यानी 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा।

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता)

इस योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

- >> आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- >> आवेदक के पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि होनी चाहिए
- >> किसान का नाम 1 अगस्त 2019 तक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए
- >> मासिक आय 15,000 या उससे कम होनी चाहिए
- >> आधार कार्ड और बचत बैंक खाता या जन धन खाता होना अनिवार्य है

कतिना देना होगा? (योगदान राशि)

आवेदक को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक मासिक योगदान देना होगा। यह राशि आवेदक की उम्र पर निर्भर करती है:

कतिना मिलेगा फायदा?

इस योजना के तहत किसानों को कई तरह से फायदा मिलता है:

- >> पेंशन: 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3000 पेंशन मिलेगी
- >> PM-Kisan साथ में: सालाना 6000 (3 कस्तों में) अलग से मिलेगा
- >> कुल लाभ: 60 वर्ष के बाद सालाना 42,000 तक का लाभ
- >> पारिवारिक सुरक्षा: किसान की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को 1500 माह पारिवारिक पेंशन
- >> आसान कस्त: PM-Kisan की कस्तों से पेंशन योगदान कट सकता है

